(64)

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 935 जयपुर/2007-08

यह प्रमाणित किया जाता है कि छत्रपति शिवाजी शिक्षण संस्थान कानपुरा डेहरा जिला जयपुर राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 04 माह मार्च सन दो हजार 2008 को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार संस्थाऐं जयपुर

(अशोक कुमार जोशी)
रजिस्ट्रार संस्थाऐं
जयपुर

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1 © 2374969 27513
2751417

सुरेश कुमार
सचिव
संस्थान
(राज.)

अधिकार के तहत

रजिस्ट्रार

[1]राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958

(1958 का अधिनियम सं. 28)

(राज्यपाल की अनुमति दिनांक 23 जून, 1958 को प्राप्त हुई)

बदलते हुए सामाजिक परिवेश में संस्थाओं एवं समितियों के माध्यम से लोकहित के कार्य करने की प्रवृति प्रजातांत्रिक शासन पद्धत्ति की एक महत्वपूर्ण देन है। सामूहिक एवं संगठित रूप से कार्य करने की भावना ऐसी संस्थाओं एवं समितियों में परिलक्षित होती है। इनका उद्देश्य सामान्यत: लाभ अर्जित करना नहीं होता। जन-हित उनका मुख्य लक्ष्य होता है। ऐसी समितियों एवं संस्थाओं को राज्य द्वारा भी कतिपय विशेष सुविधायें एवं रियायते प्रदान की जाती है। साथ ही साथ ऐसी संस्थाओं को विनियमित एवं नियंत्रित भी किया जाता है।

राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 इसी दिशा में पारित किया गया एक महत्वपूर्ण विधायन है। इस अधिनियम का उद्देश्य है–

(i) राज्य में साहित्यिक, वैज्ञानिक, पूर्त्त, खादी एवं ग्रामोद्योग जैसी संस्थाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबंध करना;

(ii) साहित्यिक, वैज्ञानिक, पूर्त, खादी एवं ग्रामाद्योग आदि का प्रोन्नति के लिए उपबंध करना;

(iii) राजनीतिक शिक्षा का प्रसार करना; तथा

(iv) पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसायटियों की विधिक स्थिति में सुधार करना, आदि।

राजस्थान राज्य में साहित्यिक, वैज्ञानिक, पूर्त, तथा कतिपय अन्य सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

अत: यह समीचीन है कि साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिए या उपयोगी जानकारी के प्रसार के लिए, या राजनीतिक शिक्षा के प्रसार के लिए अथवा पूर्त प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियों की विधिक परिस्थिति सुधारने के लिए विधि को समेकित तथा संशोधित किया जाय।

भारत गणराज्य के नवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल यह अधिनियम बनाता है :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार तथा प्रारम्भ– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 है।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य में है।

[2](3) यह उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।

1–क. निर्वचन– (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में;

(i) ''रजिस्ट्रार'' से राज्य की सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है :

परन्तु राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति या अधिकारी को, नाम द्वारा या उसके पद के आधार पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, और ऐसी दशा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी ऐसे प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रार होगा; और

(ii) ''राज्य या राजस्थान राज्य'' से राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम 37) की धारा 20 द्वारा यथा निर्मित राजस्थान राज्य अभिप्रेत है।

(2) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम 1955 (1955 का राजस्थान अधिनियम 8) के उपबन्ध, यथाशक्य यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस अधिनियम पर लागू होंगे।

---

1. राजस्थान राजपत्र असाधारण खण्ड 4 (क) दिनांक 7-7-1958 को सर्व प्रथम प्रकाशित। प्राधिकृत हिन्दी पाठ 2 अगस्त 1979 को प्रकाशित खण्ड 4 (क) पृष्ठ संख्या 177 से 182।
2. 1 अप्रेल 1959 से प्रभावशील। अधिसूचना सं. एफ. 11 (12) इण्ड. (ए) 56 दिनांक 27 फरवरी 1959.

Scanned with CamScanner

Scanned by CamScanner